नकद साख सीमा (CCL)/जमा साख सीमा (DCL)

लोक निर्माण, सिचाई तथा वन विभागों के आहरणों के सम्बन्ध में शासनादेश
संख्या–ए–1–3244 / दस–73, दिनांक 11–12–1973 तथा इस क्रम में समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत दिनांक दिनांक 01–04–1974 से साख सीमा प्रणाली लागू है।

सामान्यतया लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, सिचाई विभाग द्वारा किये गये भुगतान करने के सम्बन्ध में दो प्रकार की साख सीमाओं द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था है

आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि की साख सीमा जो कि शासन स्तर से विभागाध्यक्षों को निर्गत की जाती है को नकद साख सीमा (CCL) कहते है।

नकद साख सीमा में विभागों को शासन/उनके उच्च सक्षम अधिकारियों (वित्त नियंत्रक) द्वारा बजट आवंटन किया जाता है।

कोषागार नकद साख सीमा को 3 दिन के अन्तर्गत बैंक को जारी करने से पूर्व वित्त नियन्त्रक के नमूने हस्ताक्षरों का भली भॉति मिलान किया जाता है,

सी0सी0एल0 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्ययगत मानी जायेगी।

डिपाजिट कार्यों के लिये प्राप्त धनराशि की साख सीमा डी0सी0एल कहलाती है।

जमा साख सीमा के अन्तर्गत विभागों द्वारा उनके सुसंगत लेखाशीर्षको के चालान द्वारा जमा की गयी धनराशियों के अधीन ही आहरण किया जाता है।

डी0सी0एल0 निर्गत करने का अधिकार सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/वन संरक्षक/निदेशक जलागम प्रबन्ध को ही होता है।

कोषागार द्वारा समुचित प्रक्रिया यथा चालान का मिलान/शासनादेशों की प्रतियों को आधार मानते हुये आवंटन के अन्तर्गत सम्बन्धित बैंको की शाखाओं पत्र जारी किया जाता है।

कोषागार जमा साख सीमा को जारी करने से पूर्व भली भॉति मिलान कार्य कोषागार के अभिलेखों से करते है।

विभागों द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में कोषागार से मिलान कार्य किया जाना अनिवार्य है।

डी0सी0एल0 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्ययगत नही होगी अपितु अगले वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि अग्रनीत की जायेगी।

- लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग में सी0सी0एल0 प्रत्येक त्रैमास के प्रथम माह के प्रथम सप्ताह में निम्नवत् जारी की जायेगी
- प्रथम त्रैमास 35 प्रतिशत
- द्वितीय त्रैमास 15 प्रतिशत
- तृतीय त्रैमास 35 प्रतिशत
- चतुर्थ त्रैमास 15 प्रतिशत

- वन विभाग/जलागम, प्रबन्धन निदेशालय में सी0सी0एल0 प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में निम्नवत् जारी की जायेगी

- प्रथम त्रैमास — 20 प्रतिशत
- द्वितीय त्रैमास — 25 प्रतिशत
- तृतीय त्रैमास — 40 प्रतिशत
- चतुर्थ त्रैमास — 15 प्रतिशत

- सी0सी0एल0 जारी करने के पूर्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनुमोदन लिया जायेगा।

- वित्त नियंत्रक अथवा वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी, यथास्थित, जारी सी0सी0एल0 के माहवार व्यय/अवषेश की समीक्षा उनके स्वयं के द्वारा की जायेगी।

  जिला योजनाओं के सम्बन्ध में भी साख सीमा उपरोक्तानुसार जारी की जायेगी।

- राष्ट्रीय राज्य मार्गों तथा अन्य ऐसे कार्य, जो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को सौंपे जाते है। और जिनके भुगतान की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।, की सी0सी0एल0 प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में नियुक्त वित्त नियंत्रक द्वारा नियमानुसार जारी की जायेगी तथा प्रतिपूर्ति हेतु दावों का संप्रेषण समय से सुनिश्चित किया जायेगा।

- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि:—

- सी0सी0एल0 की मांग, पूर्व निर्गत सी0सी0एल0 के उपयोग, समायोजन, व्यय तथा अवशेष की सूचना सम्बन्धित खण्डों/प्रभागों/निदेशन प्रभागों से वित्त नियंत्रक अथवा वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी, यथा स्थिति को समय से मिलती रहे।

- सम्बन्धित खण्डों/प्रभागों/निदेशन प्रभागों को उनके द्वारा उन कार्यों के लिए बजट का आवंटन कर दिया गया है जिसके लिए सी0सी0एल0 की मांग की गई है।

किसी भी स्थिति में किसी एक कार्य के लिए जारी सी0सी0एल0 का उपयोग अन्य कार्य पर नहीं की जायेगी और सी0सी0एल0 सम्बन्धित खण्डों/प्रभागों/निदेशन प्रभागों को आवंटित बजट की सीमा के अन्दर ही रखा जायेगा।

धन्यवाद

उत्तरांचल शासन